

नियमावली -5

कर्तव्यों के पालन करने हेतु नियम, विनियम, आदेशों, नियमावली और अभिलेख ।

5.1 कृपया जनप्राधिकरण के पास उसके नियंत्रण में और उनके कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य निर्वाह में प्रयुक्त किए जाने वाले क प्रयोग नियमों, नियमनों, निर्देशों, नियम पुस्तिका और अभिलेखों की सूची निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान की जाए। यह प्रारूप प्रत्येक प्रकार के दस्तावेज के लिए भरा जाए।

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, उसके न.-3(अधिनियम, संविधि, अध्यादेश) दस्तावेजों में संक्षिप्त में लिखे। दस्तावेज में अधिनियम, संविधि, अध्यादेशों और कॉलेज अभिशासन से सम्बद्ध नियम और विनियमों की सूचना उपलब्ध है।

कोई व्यक्ति नियमों, विनियमों, अनुदेशों, नियमावली और अभिलेखों की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकता है?
इन्टरनेट पर उपलब्ध(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम-2009)

मुख्य कार्यालय और उसकी शाखाओं का पता।

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
(संसद के अधिनियम के तहत सृजित)

गाँव- जांट- पाली, महेन्द्रगढ़, हरियाणा।

स्थाई परिसर

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, गाँव-(जांट- पाली), महेन्द्रगढ़, हरियाणा, पिन-123029

नियमों, विनियम, निर्देशों, नियम पुस्तिका और अभिलेखों(यदि कोई हो) की प्रति के लिए विभाग द्वारा प्रभारित शुल्क

2 रुपये प्रति पेज प्रतिलिपि शुल्क